कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 4380 नारायणपुर,दिनांक 20/09/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर ।

विषय :– **Diversion of Forest Land for non Forest Furpose under forest conservation Act 1980 proposed for 220/132 KV S/S at Narayanpur area 4.06 Ha. regarding (FP/CG/TRANS/20854/2016)**

संदर्भ :– कार्यपालन अभियंता (सि–पारे.) छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0जगदलपुर का पत्र क्रमांक /का.अ./सि–पारे/16–17/1301 दिनांक 17.09.2016.

—:00:—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (सि–पारे.) छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर द्वारा परिक्षेत्र बेनूर ग्राम– नेलवाड़ में राजस्व वन भूमि रकबा 4.06 हेक्टेयर का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु नवीन चेक लिस्ट के दिशा निर्देश के तहत् प्रस्तुत किया गया है । प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

(1) आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता (सि–पारे.) छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर द्वारा परिक्षेत्र बेनूर ग्राम– नेलवाड़ में राजस्व वन भूमि रकबा 4.06 हे0 की मांग 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु की गई है।

(2) आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में नियमानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग की राशि नारायणपुर वनमण्डल में जमा किया गया है।

(3) डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का साईट क्वालिटी

(4) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वनमण्डलाधिकारी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) संलग्न है।

- प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य अंतर्गत 220/132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु मॉग की जा रही राजस्व वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
- व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मॉग न्यूनतम हैं।

(5) प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्र के ग्रामों के पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(6) परियोजना में प्रभावित राजस्व वन भूमि के रकबा 4.06 हे0 हेतु भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.11-9 / 98 date 16 june 2011के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण से छुट का प्रावधान दिया गया है।

(7) प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र के आस–पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।

(8) परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किया गया है।

(9) प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदन कर्त्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3B वन उल्लंघन नहीं किया गया है।

(10) आवेदित क्षेत्र Ecological Sensitive क्षेत्र (Bio SPhere Reserve) प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी आदिवासी सेटलमेंन्ट, धार्मिक स्थल की सीमा से 5 कि.मी.के अंतर्गत नहीं है।

(11) आवेदित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभयारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित राजस्व वन भूमि की सीमा से 10 कि. मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।

(12) आवेदनकर्ता विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया गया है।

(13) परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के प्रकरण में कलेक्टर नारायणपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

(14) आवेदित क्षेत्र में गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं है।

(15) परियोजना में प्रभावित वन भूमि मे गैर वन भूमि अनुपलब्धा संबंधी मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(16) वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर नारायणपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(17) Land Reclamtion Plan/ Fire Protection हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

(18) प्रकरण में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं करने का वचन पत्र संलग्न है।

अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धान्तों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रथम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
प्रस्ताव 05 प्रतियों में

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 4381 नारायणपुर,दिनांक 20/9/2016

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू– प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 छ0ग0 रायपुर** को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. **कार्यपालन अभियंता (सि–पारे.) छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर (छ0ग0)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर